रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 1984/फाल्गुन 2, 1905
No. 66] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 1984/PHALGUNA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1984

का० आ० 103(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए/84.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 631 (अ)/18कक/आई डी० आर० ए०/80, तारीख 23 अगस्त, 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स शिवराज फाइन आर्ट लिथो वर्क्स, नागपुर नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 22 अगस्त, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था, और डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ विदर्भ लिमिटेड, नागपुर को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ विदर्भ लिमिटेड, नागपुर के प्रबंध के अधीन बना रहे, पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् 22 फरवरी, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए घोषणा की थी। [देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का आदेश सं० का० आ० 603 (अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/83, तारीख 22 अगस्त, 1983]

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को 22 अगस्त, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 22 अगस्त, 1984 तक की, जितने यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2(15)/80-सी. यू. एस]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 21st February, 1984

S.O. 103(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the order of the Government of India in the

Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 634(E)|18AA|IDRA|80 dated 23rd August, 1980 (hereinafter referred to as the said order), the Management of the industrial undertaking known as Messrs Shivraj Fine Art Litho Works, Nagpur, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 22nd August, 1983, and the Development Corporation of Vidharbha Limited, Nagpur, was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial underaking should continue under the management of the Development Corporation of Vidharbha Limited, Nagpur, after the expiry of the period of three years afoesaid; had declared for such continuance for a further period upto and inclusive of the 22nd February, 1984, vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 603(E)|18AA|IDRA|83 dated the 22nd August, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of six months upto and inclusive of 22nd August, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation, Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd August, 1984.

[F. No. 2(15)|80-CUS]

का०आ० 104(अ)/18एफबी/आई०डी०आर०ए/84.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 694(अ)/18 एफबी/आईडीआरए/80, तारीख 28 अगस्त, 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क्ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं संपत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, परिनिर्णयों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबद्ध है) जिनका मैसर्स शिवराज फाइन आर्ट लिथो वर्क्स, नागपुर नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार ने यह राय होने पर कि जनसाधारण के हित में यह आवश्यक है कि उक्त आदेश, पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 22 फरवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए समय-समय पर घोषणा की थी। [दिनांक भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का आदेश सं० का०आ० 668(अ)/18क्ख/आई डी आर ए/81, तारीख 26 अगस्त, 1981 का०आ० 621 (अ)/18क्ख/आई डी आर ए/82, तारीख 27 अगस्त, 1982 और का०आ० 604(अ)/18क्ख/आई डी आर ए/83, तारीख 22 अगस्त, 1983];

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को 22 अगस्त, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क्ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 22 अगस्त, 1984 तक जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा० सं० 2(15)/80-सी.यू.एस]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 104(E)|18FB|IDRA|84.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 694(E)|18FB|IDRA|80, dated the 28th August, 1980, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Shivraj Fine Art Litho Works, Nagpur or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is necessary in the interests of the general public that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of one year aforesaid, had declared from time to time for such continuance for a further period upto and inclusive of the 22nd February, 1984 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 668(E)|18FB|IDRA|81, dated the 26th August, 1981, S.O. 621(E)|18 FB|IDRA|82, dated the 27th August, 1982 and S.O. 604(E)|18 FB|IDRA|83 dated he 22nd August, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of 22nd August, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order upto and inclusive of the 22nd August, 1984.

[File No. 2(15)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984